LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Tuesday, 07 August 2018 / 16 Shraavan 1940 (*Saka*)

No. 87

02.08 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 2.09 PM The Chair stated that he had not allowed any notices under Rule-54 (Calling Attention) and requested the Members to not argue about the fate of their notices.

2. 2.10 PM **Statements by Ministers :**

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister informed the House about the cabinet decision on :

I. Enhancement of MLA LAD fund from Rupees Four Crores to Rupees Ten Crores per year for each Member.
II. Setting up of fifteen Academies of various languages

Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Urban Development and Health informed that:

I. The process for amendment of guidelines for MLA LAD fund was simplified and it would require the approval of the Minister of Urban Development only.
II. Grant of financial assistance to AIDS patients

Sh. Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare informed that:

I. Relaxation of upper age limit of disability pension beyond 60 years of age.
II. Financial assistance to orphans staying with their grandparents.

3. 2.17 PM **Directions of the Chair regarding Notices of Questions:**

The Chair directed that the Hon'ble Members should adhere to the provisions of the Rules regarding admissibility of questions so that they are not disallowed. He asked them to ensure that the questions pertain to a single subject of one department and that they are not excessively lengthy. He also informed that if necessary, the Assembly Secretariat would edit the questions so that they confirm to the Rules.

4. 2.19 PM **Question Hour :**

Starred Questions No. 23 was asked. Shri Saurabh Bharadwaj and other members complained that the replies received from the Urban Development Department were incomplete and misleading.

Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of UD stated that in spite of his directions, the officers were not providing proper replies. He also informed that the Municipal Commissioners were not attending the meetings which he had called for discussing the replies.

Starred Questions No. 23, 25 to 28 & 30 were asked and replied to.

Replies to Starred Questions No.21, 22, 32 to 36, 39 & 40 (Except Starred Question No. 24, 29, 31, 37 & 38 (pertaining to Urban Development Department) and Un-Starred Questions No. 67 to 137 (Except Unstarred Question No.71, 75 to 79, 82 to 84, 88, 90 to 94, 96 to 98, 100, 132 & 133 (pertaining to Development Department) were placed on the table.

5. 3.10 PM Sh. Nitin Tyagi drew the attention of the House towards the alleged manhandling of MCD officials by political workers of BJP and refusal of the police authorities to take action. The Chair asked him to submit his complaint in writing.

6. 3.16 PM **Special Mention(Rule-280) :**

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Sh. Gulab Singh *(Minister of Transport intervened)*
2. Sh. Sandeep Kumar
3. Sh. Vijender Garg
4. Sh. Vijender Gupta

Members of ruling party objected to certain remarks of Shri VIjender Gupta.

Uproar in the House continued.

Member of BJP raised slogans and refused to resume their seat in spite of the Chair's directions.

(3.39 PM) The Chair named Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition for his indecorous behaviour.

As the Members refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.

(3.40 PM) Sh. Om Prakash Sharma & Sh. Jagdish Pradhan walked out in protest.

5. Sh. Shiv Charan Goel
6. Sh. S.K. Bagga
7. Sh. Girish Soni
8. Sh. Praveen Kumar
9. Sh. Rajesh Rishi

(3.50 PM) Shri Om Prakash Sharma returned to his seat.

10. Sh. Om Prakash Sharma
11. Sh. Anil Kumar Bajpai
12. Sh. Naresh Yadav
13. Ms. Alka Lamba

7. 4.01 PM **The Chair adjourned the House upto 4:30 PM for tea-break.**

8. 4.36 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

9. 4.37 PM The Chair greeted Sh. Madan Lal, Hon'ble Member on his Birthday.

10. 4.38 PM The Chair informed Members of the House about the ceremony to be held in the Assembly Hall, Legislative Assembly Complex, Old Sectt. to unveil the portrait of Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India & Sh. Lal Bahadur Shastri, former Prime Minister of India & freedom fighter on the 10 August, 2018 at 11:00 AM.

11. 4.39 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**
Sh. Adarsh Shastri initiated short duration discussion on *'Supreme Court Judgment on powers of elected Govt. of Delhi'*.

The following Members participated in the Discussion :

1. Sh. Sanjeev Jha
2. Sh. Pankaj Pushkar
3. Sh. Somnath Bharti
4. Sh. Madan Lal
5. Sh. Jagdish Pradhan
6. Ms. Alka Lamba

The Chair stated that the discussion would continue on 08 August 2018.

12. 6:09 PM **Adoption of Report :**
Sh. Shiv Charan Goel moved the following Motion :
"That this House agrees with the **Fourth Report of the Private Members' Bills & Resolutions Committee** presented to the House on 06 August 2018".
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

13. 6.10 PM **Directions of the Chair referring matter to Committee of Privileges:**
The Chair directed that the matter of non-receipt of replies to Starred & Unstarred Questions listed for 07 August 2018 pertaining to Urban Development Department stood referred to the Committee of Privileges as per his earlier directions.
He also asked the Minister of Urban Development to provide his comments in writing about his discussions with the concerned officers regarding these questions by 10 August 2018.

14. 6.11 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Wednesday, 08 August 2018.**

Delhi
07th August, 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
मंगलवार, 07 अगस्त, 2018 / 16 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या–87

2.08 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 2.09 बजे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने नियम–54 (ध्यानाकर्षण) की किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया है तथा उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपनी सूचनाओं के संबंध में कोई तर्क–वितर्क न करें।

2. 2.10 बजे **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य :**

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सदन को निम्नलिखित कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी :

1. प्रत्येक सदस्य के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर 04 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये करना।
2. विभिन्न भाषाओं की 15 अकादमियों की स्थापना।

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी :

1. विधायक क्षेत्र विकास निधि हेतु दिशा–निर्देशों की प्रक्रिया में संशोधन करके इसे सरल बनाया गया है और अब केवल शहरी विकास मंत्री की ही आवश्यकता होगी।
2. एडस के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने जानकारी दी :

1. अशक्तता पेंशन हेतु उपरि आयु सीमा में 60 वर्ष की आयु में छूट।
2. अपने दादा–दादी / नाना–नानी के साथ रहने वाले अनाथों को वित्तीय सहायता।

3. 2.17 बजे **प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में अध्यक्ष महोदय के निर्देश :**

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि माननीय सदस्यों को प्रश्नों की ग्राह्यता से संबंधित नियमों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए ताकि उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रश्न एक विभाग के एक ही विषय से संबंधित हों और बहुत अधिक लम्बे न हों। उन्होंने यह भी सूचित किया कि यदि आवश्यकता हुई तो विधानसभा सचिवालय प्रश्नों को सम्पादित करेगा ताकि वे नियमों के अनुसार हों।

4. 2.19 बजे **प्रश्न कालः** तारांकित प्रश्न संख्या 23 पूछा गया। श्री सौरभ भारद्वाज तथा अन्य सदस्यों नें शिकायत की कि शहरी विकास विभाग से प्राप्त उत्तर अधूरे तथा भ्रामक हैं।

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उनके निर्देशों के बावजूद, अधिकारी समुचित उत्तर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि निगम आयुक्त भी उन बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं, जो उन्होंने प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी।

तारांकित प्रश्न संख्या 23, 25 से 28 एवं 30 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 21, 22, 32 से 36, 39 एवं 40 (शहरी विकास विभाग से संबंधित प्रश्न सं0 24, 29, 31, 37 एवं 38 को छोड़कर) तथा अतारांकित प्रश्न सख्या 67 से 137 (विकास विभाग से संबंधित प्रश्न सं0 71, 75 से 79, 82 से 84, 88, 90 से 94, 96 से 98, 100, 132 एवं 133 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

5. 3.10 बजे श्री नितिन त्यागी ने सदन का ध्यान भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने से मना करने के संबंध में आकर्षित किया।

6. 3.16 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठायेः–

1. श्री गुलाब सिंह *(माननीय परिवहन मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*
2. श्री संदीप कुमार
3. श्री विजेन्द्र गर्ग
4. श्री विजेन्द्र गुप्ता

सत्ता पक्ष के सदस्यों नें श्री विजेन्द्र गुप्ता की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति प्रकट की।

सदन में शोर–शराबा प्रारम्भ हुआ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारेबाजी की तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के बावजूद अपने आसनों पर नहीं बैठे।

3.39 बजे : अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनके अमर्यादित व्यवहार के कारण इंगित किया।

चूंकि सदस्य ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।

3.40 बजे : श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान ने भी विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

5. श्री शिवचरण गोयल
6. श्री एस.के.बग्गा
7. श्री गिरीश सोनी
8. श्री प्रवीण कुमार
9. श्री राजेश ऋषि

3.50 बजे : श्री ओमप्रकाश शर्मा सदन में वापिस आये।

10. श्री ओमप्रकाश शर्मा
11. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
12. श्री नरेश यादव
13. सुश्री अलका लाम्बा

7. 4.01 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 4.30 बजे तक जलपान अवकाश के लिए स्थगित की।**

8. 4.36 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

9. 4.37 बजे अध्यक्ष महोदय ने श्री मदन लाल को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी।

10. 4.38 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा :**
अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को विधानसभा सभागार, पुराना सचिवालय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों का अनावरण करने के उपलक्ष में दिनांक 10 अगस्त 2018 को प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाले समारोह की जानकारी दी।

11. 4.39 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :**
श्री आदर्श शास्त्री ने *"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय"* के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री संजीव झा
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री सोमनाथ भारती
4. श्री मदन लाल
5. श्री जगदीश प्रधान
6. सुश्री अलका लाम्बा

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चर्चा दिनांक 08 अगस्त, 2018 को जारी रहेगी।

12. 6.09 बजे **प्रतिवेदन पर सहमति :**
श्री शिवचरण गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :
*"यह सदन दिनांक 06 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन** से सहमत है।"*
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

13. 6.10 बजे **विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपने के संबंध में अध्यक्ष महोदय का निर्देष :**
अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि दिनांक 07 अगस्त 2018 को सूचीबद्ध शहरी विकास विभाग से संबंधित तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने के मामले को, उनके पूर्ववर्ती निर्देशानुसार विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।
उन्होंने शहरी विकास मंत्री को, इन प्रश्नों के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के संबंध में दिनांक 10 अगस्त, 2018 तक लिखित में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा।

14. 6.12 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 08 अगस्त, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
07 अगस्त, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव